राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 93 / 2025

माया कुमारी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 07.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलावानियां, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र मनासिया, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदरास, मांडलगढ जिला भीलवाड़ा में दिनांक 08.10.2020 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदरास मांडलगढ जिला भीलवाड़ा से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय, निदेशालय, जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.04.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को उप स्वास्थ्य केन्द्र मनासिया, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय, निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आर.एस.आर नियम–25ए का उल्लंघन करते हुए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने हेतु निदेशक

सक्षम अधिकारी है। उक्त आदेश विधि–विरूद्ध एवं मनमाना है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान उप स्वास्थ्य केन्द्र मनासिया, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्य करने दिया जावे।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2001 एवं 09.12.2022 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्मिकों के स्थानान्तरण, एपीओ एवं पदस्थापन नहीं किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने भी एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6261/2017 हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी बनाम स्टेट में शिकायतों के आधार पर कार्मिकों को एपीओ किये जाने को अनुचित मानते हुए आदेश अपास्त किया है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.01.2025 के द्वारा उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के बिना उप स्वास्थ्य केन्द्र मनासिया का लोकार्पण करवा दिया गया जो नियमानुसार नहीं है। जबकि ए.एन.एम. का रविवार का साप्ताहिक अवकाश होता है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों के आदेश की पालना नहीं करने एवं स्वास्थ्य केन्द्र पर लापरवाहीपूर्वक कार्य करने तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के उपरान्त पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया था। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र मनासिया, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 06.01.2025 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में

मुख्यालय, निदेशालय, जयपुर में किये जाने का प्रश्न है। राजस्थान सेवा नियमों के लिए 25ए में निम्नलिखित आधारों पर ही कार्मिकों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है :–

"(1) On return from leave. (2) On reversion to parent department from deputation within India. (3) On return from abroad offer completion of training or foreign assignment. (4) On return farm training within India. (5) Awaiting posting order after making over charge of the old post under the directions of Appointing Authority. (6) Non-acceptance of the officer on transfer to another post. (7) To save a Government servant from reversion."

7. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:–

"The discussion made above, therefore, clearly shows that the 'awaiting posting order passed in the present case is not-in conformity with the provisions of law discussed above as neither it discloses any administrative exigency or emergent nature nor appropriate permission from the office of the Hon'ble Chief Minister was obtained before passing the order impugned- Consequently, the writ petition merits acceptance. The same is allowed. The order impugned dated 24-06-2024 (Annex-5) and its consequential relieving order dated 25-05-2024 (Annex-6) are quashed and set aside."

8. इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2025 उक्त नियमों एवं उक्त न्यायिक विनिश्चय के विपरीत जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया तथा नहीं उक्त आदेश का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से करवाया गया। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य